

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक: निरी/नि0व0/जयपुर/1778/2010/पार्ट-5/41175-290

दिनांक.

31/10/18

01. समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
02. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
03. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।

विषय:—बंदियों को कारागृह में दी जाने वाली खाद्य सामग्री के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः ऐसा देखने में आया है कि राज्य की कारागृहों में निरीक्षण के दौरान बंदियों को खाद्य सामग्री निर्धारित मात्रा में नहीं दी जाने की शिकायत प्राप्त होती है, जो बिलकुल भी उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि कारागृह में बंदियों को खाद्य सामग्री निर्धारित मात्रा में दी जायें, यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें किसी भी कारागृह से प्राप्त होती है तो कारागृह प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय

(भूपेन्द्र सिंह)

महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
02. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
03. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
04. प्रभारी, परिवाद शाखा/बंदी शाखा/सामान्य शाखा/विभागीय जांच प्रकोष्ठ/सूचना का अधिकार शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर।
05. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर को वास्ते विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर